

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड एवं अन्य
बनाम
राम देव प्रसाद सिंह एवं अन्य

(2011 की दीवानी अपील सं. 7754)
दिनांक 08 सितम्बर, 2011

[माननीय न्यायमूर्ति श्री आफताब आलम एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री आर.एम. लोढा]

बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 - धारा 89 - लंबित कार्यवाहियों का अंतरण - उत्तरदाता, जो हजारीबाग स्थित तापीय विद्युत स्टेशन में कार्यरत था, सेवा से पदच्युत किया गया - उत्तरदाता द्वारा चार वर्ष पश्चात पटना के मुंसिफ न्यायालय के समक्ष यह घोषणा प्राप्त करने हेतु वाद दायर किया गया कि पदच्युति विधि में अवैध एवं अप्रभावी है - वाद विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया - प्रथम अपीलीय न्यायालय ने दिनांक 18.01.2006 के निर्णय द्वारा उक्त आदेश की पुष्टि की - पटना उच्च न्यायालय ने भी उक्त आदेश को यथावत् रखा - अपील पर अभिनिर्धारित: उत्तरदाता द्वारा दायर वाद संधार्य नहीं था - बिहार राज्य के 15.11.2000 से प्रभावी विभाजन, जो पुनर्गठन अधिनियम के अधीन नियुक्त तिथि है, के परिणामस्वरूप हजारीबाग स्थित तापीय विद्युत स्टेशन, जो पूर्व में बिहार राज्य का भाग था, नवगठित झारखंड राज्य का भाग बन गया - धारा 89 के अधीन कार्यवाहियों का अंतरण विधि के प्रवर्तन द्वारा होना था - प्रथम अपीलीय न्यायालय तथा पटना उच्च न्यायालय को वादों की सुनवाई एवं निर्णय करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था - पटना उच्च न्यायालय इस तथ्य को दृष्टिगत करने में विफल रहा कि वह ऐसे न्यायादेश की पुष्टि कर रहा था जो बिहार राज्य में अब प्रवर्तनीय नहीं रहा था - झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड का गठन 01 अप्रैल, 2001 को हुआ - तत्पश्चात बिहार राज्य विद्युत बोर्ड उत्तरदाताओं को हजारीबाग स्थित तापीय विद्युत स्टेशन में, जहाँ वे पदच्युति के समय कार्यरत थे, सुरक्षा गार्ड के रूप में पुनःस्थापित नहीं कर सकता था - हजारीबाग स्थित तापीय विद्युत स्टेशन में

सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्यरत उत्तरदाता औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन कर्मकार थे - वे अपनी सेवा से पदच्युति के संबंध में औद्योगिक विवाद उठा सकते थे - अतः प्रथम अपीलीय न्यायालय तथा पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अवैध एवं अधिकार क्षेत्र के अभाव में था - आक्षेपित निर्णय एवं न्यायादेश अपास्त किए जाते हैं तथा वाद निरस्त किया जाता है - औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947।

वर्ष 1975 में, उत्तरदाता, जो हजारीबाग स्थित पतरातू तापीय विद्युत स्टेशन में सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्यरत थे, को कदाचार के आरोपों पर सेवा से पदच्युत कर दिया गया। चार वर्ष पश्चात, उत्तरदाताओं ने पटना के मुंसिफ न्यायालय में यह घोषणा प्राप्त करने हेतु वाद दायर किया कि उनकी पदच्युति अवैध, असंवैधानिक तथा विधि में अप्रभावी है और उन्हें विधिपूर्वक सेवा में निरंतर माना जाएगा। विचारण न्यायालय ने वाद को स्वीकार कर लिया। अपीलकर्ताओं ने अपील दायर की, जिसे अपर जिला न्यायाधीश द्वारा दिनांक 18.01.2006 के आदेश द्वारा निरस्त कर दिया गया। उच्च न्यायालय ने भी द्वितीय अपील को निरस्त कर दिया। फलतः अपीलकर्ताओं ने वर्तमान अपील दायर की।

अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1.1 हजारीबाग जिला, जहाँ पतरातू तापीय विद्युत स्टेशन स्थित है, पूर्व में बिहार राज्य का भाग था, किन्तु राज्य के 15 नवम्बर, 2000 से प्रभावी विभाजन, जो पुनर्गठन अधिनियम के अधीन नियुक्त तिथि है, के पश्चात यह नवगठित राज्य झारखंड का भाग बन गया। बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 89 के साधारण पठन से यह स्पष्ट है कि नियुक्त तिथि पर मुंसिफ द्वारा पारित निर्णय एवं न्यायादेश के विरुद्ध दायर अपील झारखंड राज्य के समकक्ष न्यायालय को अंतरणित हो गई। अपील का अंतरण विधि के प्रवर्तन द्वारा हुआ और अपर जिला न्यायाधीश, पटना इस मामले में कार्यवाही करने अथवा अपील की सुनवाई एवं निर्णय करने के लिए समस्त अधिकार एवं अधिकार क्षेत्र से वंचित हो गए। इसी प्रकार यह भी अनुसरण करता है कि उक्त वाद से उत्पन्न द्वितीय अपील की

सुनवाई एवं निर्णय करने का अधिकार पटना उच्च न्यायालय को भी प्राप्त नहीं था। अतः धारा 89 के परिप्रेक्ष्य में उच्च न्यायालय तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय स्पष्टतः अवैध एवं अधिकार क्षेत्र के अभाव में प्रतीत होते हैं। [कंडिका 4] [254-क-ख; 255-ग-ड]।

1.2 प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अवैध एवं अधिकार क्षेत्र के अभाव में था तथा पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश भी समान रूप से अधिकार क्षेत्र के अभाव में है। यह अत्यंत आश्चर्यजनक है कि उच्च न्यायालय इस तथ्य को दृष्टिगत करने में विफल रहा कि वह ऐसे न्यायादेश की पुष्टि कर रहा था जो बिहार राज्य में अब न तो प्रवर्तनीय था और न ही क्रियान्वित किया जा सकता था। पुनर्गठन अधिनियम की धारा 62 में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड सहित दो अन्य निगमों से संबंधित उपबंध निहित हैं। धारा 62 की उपधारा (3) के अनुसार, झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड का गठन 01 अप्रैल, 2001 को हुआ। उक्त तिथि के पश्चात बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के लिए यह संभव नहीं रहा कि वह उत्तरदाताओं को पतरातू तापीय विद्युत स्टेशन में, जहाँ वे सेवा से पदच्युति के समय कार्यरत थे, सुरक्षा गार्ड के रूप में पुनःस्थापित कर सके। अतः प्रथम अपीलीय न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि में अस्थिर एवं असंधारणीय हैं तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश, झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड को प्रतिवादी के रूप में अभिलिखित किए बिना, बिहार राज्य में अप्रवर्तनीय हो जाता है। [कंडिका 9, 10 एवं 11] [257-झ-अ; 258-झ; 260-क-ख]।

1.3 यह प्रस्तुति कि वाद को पटना के मुंसिफ द्वारा पारित निर्णय एवं न्यायादेश के विरुद्ध प्रथम अपील के चरण से झारखंड राज्य के किसी उपयुक्त न्यायालय को अंतरणित कर दिया जाए और उस न्यायालय के समक्ष उत्तरदाताओं द्वारा झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड को एक प्रतिवादी के रूप में अभिलिखित करने हेतु कदम उठाए जाएँ, स्वीकार नहीं की जा सकती। [कंडिका 12] [260-ग-घ]।

1.4 उत्तरदाताओं को दिनांक 11 नवम्बर, 1975 को सेवा से पदच्युत किया

गया था। उन्होंने चार वर्ष पश्चात पटना में वाद दायर किया और यह कथन करते हुए सीमा की बाधा से बचने का प्रयास किया कि उन्हें अपनी सेवा से पदच्युति के विषय में पहली बार तब जानकारी हुई जब वे अक्टूबर, 1976 में अपना वेतन लेने गए थे। मुंसिफ ने आश्चर्यजनक रूप से इस कथन को स्वीकार कर लिया। [कंडिका 14] [260-ड-च]।

1.5 पटना में वाद दायर करने से पूर्व, उत्तरदाताओं ने हजारीबाग के मुंसिफ न्यायालय के समक्ष शीर्षक वाद सं. 65, 66, 67 एवं 72 वर्ष 1975 दायर किए थे। वे वाद अनुपस्थिति के कारण निरस्त कर दिए गए। पटना न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी-अपीलकर्ताओं की ओर से सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 4 के प्रावधानों के अनुसार वाद की संधार्यता के संबंध में आपत्ति उठाई गई। हजारीबाग में दायर वादों के वादपत्र पटना न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए, किन्तु इस आधार पर आपत्ति को निरस्त कर दिया गया कि बोर्ड हजारीबाग न्यायालय में दायर वादपत्रों एवं वकालतनामों पर वादकारियों के हस्ताक्षरों को विधिवत् प्रमाणित कराने में चूक गया था। कंडिका 15 [260-झ-त्र; 261-क]।

1.6 याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर वाद स्वयं ही संधार्य नहीं था। उत्तरदाताओं तापीय विद्युत स्टेशन में सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्यरत थे, अतः वे औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अर्थ में कर्मकार थे और उनकी सेवा शर्तें औद्योगिक प्रतिष्ठान (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 के अधीन बनाए गए स्थायी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा बनाए गए प्रासंगिक नियमों द्वारा शासित थीं। अतः उत्तरदाता/ओं के लिए अपनी सेवा से पदच्युति के संबंध में औद्योगिक विवाद उठाना उपलब्ध था। [कंडिका 16] [261-ख-ग]।

प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड बनाम कमलेकर शांताराम वाडके, बॉम्बे एवं अन्य,
(1976) 1 एस.सी.सी. 496 : [1976] 1 एस.सी.आर. 427 – संदर्भित।

1.7 उत्तरदाताओं का वाद स्वयं ही संधार्य नहीं था। आक्षेपित निर्णय एवं न्यायादेश अपास्त किए जाते हैं तथा उत्तरदाताओं द्वारा दायर वाद निरस्त किया जाता है।

[कंडिका 17 एवं 18] [262-ड-च]।

नज़ीर संदर्भ :

1976 (1) एस.सी.आर. 427 कंडिका 16 में संदर्भित

दीवानी अपीलिय क्षेत्राधिकार : 2011 की दीवानी अपील संख्या 7754

पटना उच्च न्यायालय द्वारा द्वितीय अपील संख्या 97 सन् 2006 में पारित दिनांक 22.09.2008 के निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध।

अपीलकर्ताओं की ओर से नवीन प्रकाश।

उत्तरदाताओं की ओर से एस.बी. सान्याल, सुभो सान्याल, गोपाल प्रसाद, राजीव शंकर द्विवेदी एवं प्रवीण कुमार सिंह।

न्यायालय का निर्णय माननीय न्यायमूर्ति श्री आफ़ताब आलम द्वारा दिया गया।

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. अपीलकर्ताओं, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड तथा उसके अध्यक्ष, उत्तरदाता सं. 1 से 8 द्वारा दायर वाद में प्रतिवादी थे। उत्तरदाताओं बोर्ड के कर्मकार थे और प्रासंगिक समय, अर्थात् वर्ष 1974 में, वे हजारीबाग स्थित पतरातू तापीय विद्युत स्टेशन में सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्यरत थे। उनके विरुद्ध कुछ कदाचार के आरोपों पर कार्यवाही प्रारंभ की गई। विभागीय जांच में आरोप सिद्ध पाए गए और विभागीय जांच के निष्कर्षों के आधार पर उन्हें दिनांक 11 नवम्बर, 1975 को सेवा से पदच्युत कर दिया गया। सेवा से पदच्युति के 4 वर्ष पश्चात उन्होंने मुंसिफ-व, पटना के न्यायालय में वाद (शीर्षक वाद सं. 95/1979) दायर किया, जिसमें यह घोषणा प्राप्त करने का निवेदन किया गया कि उनकी पदच्युति अवैध, असंवैधानिक एवं विधि में अप्रभावी है तथा उन्हें विधिपूर्वक सेवा में निरंतर माना जाएगा।

3. विचारण न्यायालय ने दिनांक 29 अगस्त, 1981 के निर्णय एवं न्यायादेश द्वारा वाद को स्वीकार कर लिया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं न्यायादेश के

विरुद्ध अपीलकर्ताओं द्वारा दायर अपील (शीर्षक अपील सं. 147/1981/62/2004) को अपर जिला न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय सं. 2, पटना द्वारा दिनांक 18 जनवरी, 2006 के निर्णय से निरस्त कर दिया गया। तत्पश्चात अपीलकर्ताओं ने द्वितीय अपील (एस.ए. सं. 97/2006) के रूप में उच्च न्यायालय के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया, किन्तु वह भी दिनांक 22 सितम्बर, 2008 के निर्णय एवं आदेश द्वारा निरस्त कर दिया गया। अब अपीलकर्ताओं इस न्यायालय के समक्ष अपने विरुद्ध पारित निर्णयों एवं न्यायादेश को आक्षेपित करते हुए उपस्थित हैं।

4. बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 89 के परिप्रेक्ष्य में उच्च न्यायालय तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय स्पष्टतः अवैध एवं अधिकार क्षेत्र के अभाव में प्रतीत होते हैं। यह उल्लेखनीय है कि हजारीबाग जिला, जहाँ पतरातू तापीय विद्युत स्टेशन स्थित है, पूर्व में बिहार राज्य का भाग था, किन्तु राज्य के 15 नवम्बर, 2000 से प्रभावी विभाजन, जो पुनर्गठन अधिनियम के अधीन नियुक्त तिथि है, के पश्चात यह नवगठित राज्य झारखंड का भाग बन गया। लंबित कार्यवाहियों के अंतरण से संबंधित पुनर्गठन अधिनियम की धारा 89 में निम्नलिखित उपबंध निहित हैं—

“89. लंबित कार्यवाहियों का अंतरण—

(1) नियुक्त तिथि से ठीक पूर्व किसी ऐसे क्षेत्र में स्थित किसी न्यायालय (उच्च न्यायालय को छोड़कर), अधिकरण, प्राधिकारी अथवा अधिकारी के समक्ष लंबित प्रत्येक कार्यवाही, जो उस तिथि को बिहार राज्य के अंतर्गत आती है, यदि वह कार्यवाही विशेष रूप से उस क्षेत्र से संबंधित है जो उस तिथि से झारखंड राज्य का क्षेत्र बन जाता है, तो वह कार्यवाही उस राज्य के समकक्ष न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकारी अथवा अधिकारी को अंतरणित मानी जाएगी।

(2) यदि यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या कोई कार्यवाही उपधारा (1) के

अधीन अंतरणित मानी जानी चाहिए, तो इसे पटना उच्च न्यायालय को संदर्भित किया जाएगा और उस उच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होगा।

(3) इस धारा में—

(क) “कार्यवाही” में कोई भी वाद, प्रकरण अथवा अपील सम्मिलित है; तथा

(ख) “झारखंड राज्य में समकक्ष न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकारी अथवा अधिकारी” का अभिप्राय है,—

(i) वह न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकारी अथवा अधिकारी, जिसमें या जिसके समक्ष, यदि कार्यवाही नियुक्त तिथि के पश्चात संस्थापित की गई होती, तो वह स्थापित होती; अथवा

(ii) संशय की स्थिति में, उस राज्य का ऐसा न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकारी अथवा अधिकारी, जिसे नियुक्त तिथि के पश्चात उस राज्य की सरकार या, जैसा कि प्रकरण हो, केंद्र सरकार द्वारा अथवा नियुक्त तिथि से पूर्व विद्यमान बिहार राज्य की सरकार द्वारा समकक्ष न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकारी अथवा अधिकारी के रूप में निर्धारित किया गया हो।” (बल दिया गया)

अधिनियम की धारा 89 के साधारण पठन से यह स्पष्ट है कि नियुक्त तिथि पर मुंसिफ द्वारा पारित निर्णय एवं न्यायादेश के विरुद्ध दायर अपील झारखंड राज्य के समकक्ष न्यायालय को अंतरणित हो गई। अपील का अंतरण विधि के प्रवर्तन द्वारा हुआ और अपर जिला न्यायाधीश, पटना इस मामले में कार्यवाही करने अथवा अपील की सुनवाई एवं निर्णय करने के लिए समस्त अधिकार एवं अधिकार क्षेत्र से वंचित हो गए। इसी प्रकार यह भी अनुसरण करता है कि उक्त वाद से उत्पन्न द्वितीय अपील की सुनवाई एवं निर्णय करने

का अधिकार पटना उच्च न्यायालय को भी प्राप्त नहीं था।

5. पटना उच्च न्यायालय के निर्णय से यह प्रतीत होता है कि द्वितीय अपील में उत्पन्न तीन प्रमुख विधि प्रश्नों में से एक प्रश्न प्रथम अपीलीय न्यायालय के अपील की सुनवाई करने के अधिकार क्षेत्र से संबंधित था और उस प्रश्न को निम्नवत् रूप में विनिर्दिष्ट किया गया था:—

“3. क्या निम्न अपीलीय न्यायालय को बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के प्रवर्तन के पश्चात शीर्षक अपील की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र था?

6. उच्च न्यायालय ने इस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक में दिया, किन्तु ऐसा करते हुए उसने पुनर्गठन अधिनियम की धारा 89 को विचित्र ढंग से परिहार करने का प्रयास किया। निर्णय की कंडिका 9 एवं 10 में उसने निम्नवत् अभिनिर्धारित एवं अवलोकित किया:

“9. यह विवादित नहीं है कि जब शीर्षक वाद दायर किया गया था तब उक्त अधिनियम प्रवृत्त नहीं था और यहाँ तक कि जब वर्ष 1981 में शीर्षक अपील दायर की गई थी तब भी उक्त अधिनियम प्रवृत्त नहीं था तथा उक्त अधिनियम वर्ष 2000 में प्रवृत्त हुआ और 15.11.2000 से प्रभावी किया गया, जो कि शीर्षक अपील के स्वीकृत हो जाने एवं सुनवाई हेतु लंबित रहने के बहुत पश्चात का समय है। इसके अतिरिक्त, विचारण न्यायालय के समक्ष वाद के विचारण के लिए न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के संबंध में एक मुद्दा था, क्योंकि प्रतिवादीगण द्वारा यह आपत्ति उठाई गई थी कि वाद हजारीबाग में दायर किया जाना चाहिए था और उक्त मुद्दा मुद्दा सं. (iv) के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया था, किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष उस पर जोर नहीं दिया गया और इस प्रकार ऐसा प्रतीत

होता है कि उन्होंने यह स्वीकार कर लिया कि पटना का न्यायालय वाद के विचारण के लिए अधिकार क्षेत्र रखता था।

10. अधिनियम की धारा 89 विशेष रूप से यह उपबंधित करती है कि बिहार के पुनर्गठित राज्य के क्षेत्र में लंबित कोई वाद या अपील झारखंड राज्य को अंतरणित हो जाएगी, यदि वाद का विषय झारखंड राज्य के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किन्तु यह भी उपबंधित है कि यदि इस संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, तो उसे पटना उच्च न्यायालय को संदर्भित किया जाएगा और उस उच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होगा। तथापि, वर्तमान वाद में यह स्पष्ट है कि उक्त अधिनियम के प्रवर्तन के पश्चात भी शीर्षक अपील लगभग चार वर्षों तक लंबित रही, किन्तु प्रतिवादी, जो उस न्यायालय में अपीलकर्ता थे, ने न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के संबंध में ऐसा कोई प्रश्न कभी नहीं उठाया और न ही विधि के उक्त उपबंधों के अनुसार ऐसा कोई मामला कभी पटना उच्च न्यायालय को संदर्भित किया गया। अतः इन परिस्थितियों में निम्न अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त शीर्षक अपील की सुनवाई करना तथा उसका गुण-दोष के आधार पर निर्णय करना पूर्णतः उचित था।”

7. उच्च न्यायालय सभी दृष्टियों से त्रुटिपूर्ण है। यह तथ्य कि मुंसिफ द्वारा पारित निर्णय एवं न्यायादेश के विरुद्ध अपील राज्य के विभाजन से पूर्व दायर की गई थी और नियुक्त तिथि (15 नवम्बर, 2000) को वह अपील पहले से ही अपर जिला न्यायाधीश के समक्ष लंबित थी, इस प्रश्न पर कोई प्रभाव नहीं डालता। धारा 89 का संबंध नियुक्त तिथि पर लंबित कार्यवाहियों से है, न कि उन कार्यवाहियों से जो उस तिथि के पश्चात दायर की

जाएँ। द्वितीयतः, विचारण न्यायालय के समक्ष क्षेत्राधिकार के संबंध में उठाई गई आपत्ति पूर्णतः भिन्न संदर्भ में थी। विचारण न्यायालय के समक्ष आपत्ति इस आधार पर थी कि वादी-कर्मकार पतरातू तापीय विद्युत स्टेशन में कार्यरत थे और उनकी पदच्युति वहीं हुई थी। वाद हेतु कारण पतरातू में उत्पन्न होने के कारण, वाद उस न्यायालय के समक्ष दायर किया जाना चाहिए था जिसके क्षेत्राधिकार में पतरातू तापीय विद्युत स्टेशन स्थित है। उक्त आपत्ति को विचारण न्यायालय के समक्ष संभवतः इसलिए नहीं दबाया गया क्योंकि बोर्ड का प्रधान कार्यालय पटना में होने के कारण यह माना गया कि वादकार पटना में भी वाद दायर कर सकते हैं। किन्तु मुंसिफ के समक्ष उठाई गई आपत्ति, चाहे उस पर बल दिया गया हो या त्याग दिया गया हो, पुनर्गठन अधिनियम की धारा 89 के अधीन राज्य के विभाजन पर कार्यवाहियों के अंतरण के प्रश्न पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती थी।

8. उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया तृतीय आधार कि प्रतिवादी, जो अपर जिला न्यायाधीश के समक्ष अपीलकर्ता थे, ने न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के संबंध में कोई प्रश्न नहीं उठाया और न ही ऐसा कोई प्रश्न उसके निर्णय हेतु पटना उच्च न्यायालय को संदर्भित किया गया, समान रूप से भ्रांतिपूर्ण एवं असंधारणीय है। जैसा कि उपर्युक्त उल्लेखित है, अधिनियम की धारा 89 के अनुसार कार्यवाहियों का अंतरण विधि के प्रवर्तन द्वारा होता है और यह किसी भी पक्ष द्वारा उठाई गई आपत्ति पर निर्भर नहीं करता।

9. उपरोक्त के आलोक में यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अवैध एवं अधिकार क्षेत्र के अभाव में था तथा समान रूप से पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश भी अधिकार क्षेत्र के अभाव में है।

10. इसके अतिरिक्त, अत्यंत आश्चर्यजनक रूप से उच्च न्यायालय इस तथ्य को दृष्टिगत करने में विफल रहा कि वह ऐसे न्यायादेश की पुष्टि कर रहा था जो बिहार राज्य में अब न तो प्रवर्तनीय था और न ही क्रियान्वित किया जा सकता था। पुनर्गठन अधिनियम

की धारा 62 में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड सहित दो अन्य निगमों से संबंधित उपबंध निहित हैं और वर्तमान वाद के लिए प्रासंगिक सीमा तक यह निम्नवत् प्रावधान करती है:—

“62. बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, राज्य भंडारण निगम तथा राज्य सड़क परिवहन निगम के संबंध में उपबंध—

(1) विद्यमान बिहार राज्य के लिए गठित निम्नलिखित निगमित निकाय, अर्थात्—

(क) विद्युत आपूर्ति अधिनियम, 1948 (1948 का 54) के अधीन गठित राज्य विद्युत बोर्ड;

(ख) भंडारण निगम अधिनियम, 1962 (1962 का 58) के अधीन स्थापित राज्य भंडारण निगम;

(ग) सड़क परिवहन अधिनियम, 1950 (1950 का 64) के अधीन स्थापित राज्य सड़क परिवहन निगम,

नियुक्त तिथि से और उसके पश्चात उन क्षेत्रों में कार्य करते रहेंगे जिनके संबंध में वे उक्त तिथि से ठीक पूर्व कार्य कर रहे थे, इस धारा के उपबंधों तथा समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अधीन रहते हुए।

(2) उपधारा (1) के अधीन बोर्ड या निगम के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जारी कोई भी निर्देश इस आशय का भी होगा कि वह अधिनियम जिसके अधीन उक्त बोर्ड या निगम की स्थापना की गई थी, उस बोर्ड या निगम पर अपने अनुप्रयोग में ऐसे अपवादों एवं परिवर्तनों के अधीन प्रभावी होगा जैसा कि केंद्र सरकार उचित समझे।

(3) उपधारा (1) में उल्लिखित बोर्ड या निगम उस तिथि से कार्य करना बंद कर देगा और उस तिथि से विघटित माना जाएगा

जिसे केंद्र सरकार आदेश द्वारा नियुक्त करे; तथा ऐसे विघटन पर उसकी परिसंपत्तियाँ, अधिकार एवं दायित्व उत्तरवर्ती राज्यों बिहार एवं झारखंड के बीच ऐसे प्रकार से विभाजित किए जाएंगे जैसा कि वे बोर्ड या निगम के विघटन के एक वर्ष के भीतर परस्पर सहमति से निर्धारित करें, अथवा यदि कोई सहमति नहीं बनती है, तो केंद्र सरकार द्वारा आदेश द्वारा निर्धारित तरीके से विभाजित किए जाएंगे:

परंतु यह कि उक्त बोर्ड की वे देयताएँ, जो किसी सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला कंपनी द्वारा बोर्ड को आपूर्ति किए गए कोयले के अप्रदत्त बकायों से संबंधित हैं, उन्हें अस्थायी रूप से उत्तरवर्ती राज्यों के लिए गठित राज्य विद्युत बोर्डों के बीच, अथवा इस उपधारा के अधीन बोर्ड के विघटन के लिए नियुक्त तिथि के पश्चात, ऐसे प्रकार से विभाजित किया जाएगा जैसा कि उत्तरवर्ती राज्यों की सरकारों के बीच ऐसे विघटन के एक माह के भीतर सहमति से निर्धारित किया जाए, अथवा यदि कोई सहमति नहीं बनती है, तो केंद्र सरकार द्वारा आदेश द्वारा निर्धारित किया जाएगा, बशर्ते कि देयताओं का समायोजन एवं अंतिम निर्धारण ऐसे विघटन की तिथि से तीन माह के भीतर उत्तरवर्ती राज्यों के पारस्परिक समझौते से या ऐसे समझौते के अभाव में केंद्र सरकार के निर्देशानुसार पूर्ण किया जाएगा:

परंतु यह भी कि सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला कंपनी द्वारा बोर्ड को आपूर्ति किए गए कोयले के बकाया अप्रदत्त देयों पर, नकद ऋण ब्याज दर से दो प्रतिशत अधिक की दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा, जब तक कि ऐसे देयों का परिसमापन संबंधित उत्तरवर्ती राज्यों

में गठित राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा, इस उपधारा के अधीन बोर्ड के विघटन के लिए नियुक्त तिथि को या उसके पश्चात, नहीं कर दिया जाता।"

धारा 62 की उपधारा (3) के अनुसार, झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड का गठन 01 अप्रैल, 2001 को हुआ। उक्त तिथि के पश्चात बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के लिए यह संभव नहीं रहा कि वह उत्तरदाताओं को पतरातू तापीय विद्युत स्टेशन में, जहाँ वे सेवा से पदच्युति के समय कार्यरत थे, सुरक्षा गार्ड के रूप में पुनःस्थापित कर सके।

11. अतः किसी भी दृष्टिकोण से देखने पर, प्रथम अपीलीय न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि में अस्थिर एवं असंधारणीय हैं तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश, झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड को प्रतिवादी के रूप में अभिलिखित किए बिना, बिहार राज्य में अप्रवर्तनीय हो जाता है।

12. याचिकाकर्ताओं-उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस.बी. सान्याल ने यह प्रस्तुत किया कि प्रकरण को पटना के मुंसिफ द्वारा पारित निर्णय एवं न्यायादेश के विरुद्ध प्रथम अपील के चरण से झारखंड राज्य के किसी उपयुक्त न्यायालय को अंतरणित कर दिया जाए तथा उस न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं-उत्तरदाताओं द्वारा झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड को एक प्रतिवादी के रूप में अभिलिखित करने हेतु कदम उठाए जाएँ।

13. हम निम्नलिखित कारणों से उस मार्ग को अपनाने के लिए पूर्णतः अनिच्छुक हैं।

14. यह स्मरण किया जा सकता है कि उत्तरदाताओं को दिनांक 11 नवम्बर, 1975 को सेवा से पदच्युत किया गया था। उन्होंने चार वर्ष पश्चात पटना में वाद दायर किया और यह कथन करते हुए सीमा की बाधा से बचने का प्रयास किया कि उन्हें अपनी सेवा से पदच्युति के विषय में पहली बार तब जानकारी हुई जब वे अक्टूबर, 1976 में अपना वेतन लेने गए थे। मुंसिफ ने आश्चर्यजनक रूप से इस कथन को स्वीकार कर लिया।

15. द्वितीय, पटना में वाद दायर करने से पूर्व, उन्होंने हजारीबाग के मुंसिफ न्यायालय के समक्ष शीर्षक वाद सं. 65, 66, 67 एवं 72 वर्ष 1975 दायर किए थे। वे वाद अनुपस्थिति के कारण निरस्त कर दिए गए। पटना न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी-अपीलकर्ताओं की ओर से सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 4 के प्रावधानों के अनुसार वाद की संधार्यता के संबंध में आपत्ति उठाई गई। हजारीबाग में दायर वादों के वादपत्र पटना न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए, किन्तु इस आधार पर आपत्ति को निरस्त कर दिया गया कि बोर्ड हजारीबाग न्यायालय में दायर वादपत्रों एवं वकालतनामों पर वादकारियों के हस्ताक्षरों को विधिवत् प्रमाणित कराने में चूक गया था।

16. तृतीय और सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर वाद स्वयं ही संधार्य नहीं था। यह स्मरण किया जा सकता है कि याचिकाकर्ताओं तापीय विद्युत स्टेशन में सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्यरत थे, अतः वे निःसंदेह औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अर्थ में कर्मकार थे और उनकी सेवा शर्तें औद्योगिक प्रतिष्ठान (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 के अधीन निर्मित स्थायी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा बनाए गए प्रासंगिक नियमों द्वारा शासित थीं। अतः उत्तरदाताओं के लिए अपनी सेवा से पदच्युति के संबंध में औद्योगिक विवाद उठाना उपलब्ध था। पुनःस्थापन हेतु वाद दायर करना स्पष्टतः वर्जित एवं असंधार्य था। यह प्रश्न इस न्यायालय के निर्णय, *प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड बनाम कमलेकर शांताराम वाडके, बॉम्बे एवं अन्य*, (1976) 1 एस.सी.सी. 496 द्वारा निर्णीत हो चुका है। उक्त निर्णय की कंडिका 23 एवं 24 में इस न्यायालय ने निम्नवत् अभिनिर्धारित किया:—

“23. संक्षेप में, औद्योगिक विवाद के संबंध में दीवानी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से संबंधित सिद्धांत इस प्रकार प्रतिपादित किए जा सकते हैं:

(i) यदि विवाद औद्योगिक विवाद नहीं है और न ही वह अधिनियम के अधीन किसी अन्य अधिकार के प्रवर्तन से संबंधित है, तो उपचार

केवल दीवानी न्यायालय में उपलब्ध है।

(ii) यदि विवाद एक औद्योगिक विवाद है जो सामान्य अथवा प्रचलित विधि के अधीन किसी अधिकार या दायित्व से उत्पन्न हुआ है और अधिनियम के अधीन नहीं है, तो दीवानी न्यायालय का अधिकार क्षेत्र वैकल्पिक होता है, जिससे संबंधित वादी को यह विकल्प रहता है कि वह उस उपचार का चयन करे जिसके अंतर्गत अपेक्षित राहत प्रदान की जा सकती है।

(iii) यदि औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन सृजित किसी अधिकार या दायित्व के प्रवर्तन से संबंधित है, तो वादी के लिए उपलब्ध एकमात्र उपचार यह है कि वह अधिनियम के अधीन न्यायनिर्णयन प्राप्त करे।

(iv) यदि वह अधिकार, जिसका प्रवर्तन अपेक्षित है, अधिनियम के अधीन सृजित अधिकार है, जैसे कि अध्याय V-ए के अंतर्गत, तो उसके प्रवर्तन के लिए उपलब्ध उपचार, जैसा कि प्रकरण हो, धारा 33-ग के अंतर्गत आवेदन करना अथवा औद्योगिक विवाद उठाना है।

24. हम तथापि उपर्युक्त प्रतिपादित सिद्धांत सं. 2 के संबंध में यह जोड़ना आवश्यक समझते हैं कि ऐसा विवाद विरले ही होगा जो अधिनियम की धारा 2(क) के अर्थ में औद्योगिक विवाद हो और फिर भी केवल सामान्य या प्रचलित विधि के अधीन किसी अधिकार या दायित्व से उत्पन्न हुआ हो तथा अधिनियम के अधीन न हो। ऐसी स्थिति, उदाहरणार्थ, किसी असमर्थित कर्मकार की पदच्युति के संबंध में उत्पन्न हो सकती है, जो अधिनियम की धारा 2 क में निहित

विधिक उपबंध के आलोक में औद्योगिक विवाद होगा, यद्यपि अन्यथा वह व्यक्तिगत विवाद हो सकता है। अतः दीवानी न्यायालयों को सिद्धांत सं. 2 के अंतर्गत आने वाले मामलों से निपटने का अवसर बहुत ही विरल होगा। औद्योगिक विवादों के प्रकरण सामान्यतः, लगभग सर्वत्र, उपर्युक्त प्रतिपादित सिद्धांत सं. 3 के अंतर्गत ही आते हैं।

17. अतः हम इस अपरिहार्य निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि याचिकाकर्ताओं-उत्तरदाताओं का वाद स्वयं ही संधार्य नहीं था और निरस्त किए जाने योग्य था।

18. उपरोक्त विवेचित कारणों से अपील स्वीकार की जाती है। आक्षेपित निर्णय एवं न्यायादेश अपास्त किए जाते हैं तथा याचिकाकर्ताओं-उत्तरदाताओं द्वारा दायर वाद निरस्त किया जाता है।

19. वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों में व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

एन.जे.

अपील स्वीकृत।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।